न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम–श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
03/20	अपील	07.02.2020	05.03.2020

रमेश चन्द पुत्र स्व0 परसादीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी चूली गेट, गंगापुर सिटी, तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर –अपीलार्थी

बनाम

1. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, गंगापुर सिटी
2. श्रीमती शान्तिदेवी पुत्र स्व0 परसादीलाल शर्मा पत्नी स्व0 सत्यनारायण शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी सलावद गली (शहर), सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर

– रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित :–

1. श्री दिलीप कुमार पैगोरिया, अपीलार्थी की ओर से
2. श्री तरूण कुमार शर्मा, एडवोकेट, रेस्पोडेण्ट नंबर 2 की ओर से

निर्णय दिनांक–

यह अपील अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध आदेश दिनांक–31.01.2020 तहसीलदार गंगापुर सिटी, मु0नं0 01/2019 उनवानी श्रीमती शान्तिदेवी बनाम बजरंगलाल वगै0 इस आशय की पेश की गई है कि उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक–17.07.2019 द्वारा नामान्तरकरण रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया गया था कि दोनों पक्षों को सुनकर नियमानुसार सही विरासत के अनुसार बाद जॉच नामान्तरकरण खोला जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जॉच, स्वेच्छाचारी ढंग से, गलत तौर से नामान्तरकरण तस्दीक किया हे जो विधि के विरूद्ध व रिकार्ड विरूद्ध होने से प्रथमदृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिया है कि स्व0 परसादीलाल के पुत्र राधेश्याम के हक में 1/7 हिस्से का नामान्तरकरण खोला जावे जबकि राधेश्याम का स्वर्गवास करीब 20 साल पहले हो चुका है और उनके वारिस राजू अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अप्रार्थी नंबर 10, सेठी अप्रार्थी संख्या 11, बबली अप्रार्थी संख्या 12, अल्का अप्रार्थी संख्या 13, राधेश्याम की बेवा सुशीला अप्रार्थी संख्या 14 है। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक राधेश्याम के नाम नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश दिया है जो प्रथमदृष्टया ही विधि के अनुरूप नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। स्व0 परसादी लाल के बड़े पुत्र लक्ष्मीनारायण थे, उनका स्वर्गवास हो चुका है और

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में उनके वारिस अप्रार्थी नंबर 4 दीपचन्द, अप्रार्थी नंबर 6 विनोद, लक्ष्मीनारायण के पुत्र है एवं रेखा अप्रार्थी संख्या 7, सुशीला अप्रार्थी संख्या 8 लक्ष्मीनारायण की पुत्रियॉ है एवं अप्रार्थी संख्या 9 कलावती लक्ष्मीनारायण की बेवा है। अधीनस्थ न्यायालय ने लक्ष्मीनारायण के अन्य वारिसों को नकारते हुए पूरा हिस्सा लक्ष्मीनारायण का एकमात्र वारिस हुकमचंद के नाम नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये है जो विधि विरूद्ध है। इससे यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने हुकमचंद के प्रभाव में आकर बिना जॉच पड़ताल के गलत तौर से निर्णय दिया है जो प्रथमदृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। विवादित भूमि के संबंध में दावा घोषणा, विभाजन उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी अदालत में विचाराधीन है, जिसका उनवान रमेश चंद बनाम दीपचंद वगै0 नंबरी 28/2018 विचाराधीन है, जिसमें तारीख पेशी 12.02.2020 नियत है और जब विवादित भूमि के संबंध में घोषणा एवं बंटवारे के दावा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हो उस स्थिति में नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है और राजस्व मंडल का भी यही मत है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिया जाकर विधि की भूल की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 31.01.2020 निरस्त किये जाने योग्य है। सव0 लक्ष्मीनारायण का स्वर्गवास हो चुका है और स्व0 परसादीलाल की जायदाद में से पारिवारिक बंटवारा के तहत अपना हिस्सा 1/5 परसादीलाल के जीवनकाल में ले चुके है और अपने 1/5 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड डीड द्वारा बेच चुके है और सारे दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये थे और नामान्तरकरण खोले जाने का विरोध किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये गलत तौर से निर्णय पारित किया है। दस्तावेज अवलोकन करने का प्रयास भी नहीं किया। एक व्यक्ति किसी भी सूरत में पैतृक भूमि में दो बार हिस्सा नहीं ले सकता है। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं यदि विवादित निर्णय का अमल रिकार्ड में कर दिया तो रेस्पोडेण्ट रिकार्ड को आधार बनाकर भूमि को रहन वय कर देगें जिससे मल्टीपलसिटी ऑफ सूट बढ़ेगी। श्रीमती शांति देवी व हुकमचन्द का कब्जा कभी भी नहीं रहा है। श्रीमती शांतिदेवी का विवाह अब से 70 वर्ष पूर्व हुआ था, उनके सभी बच्चों की शादी हो चुकी है और शांतिदेवी ने अपने पिता के जीवनकाल में कभी भी पैतृक भूमि में हिस्से की मांग नहीं की और पिता परसादीलाल का स्वर्गवास 30 साल पूर्व हो चुका है। उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के बाद शान्तिदेवी के विवादित भूमि में कोई अधिकार नहीं रह गये है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के ज्ञान के अभाव में गलत निर्णय पारित किया है, इसलिए अधीनस्थ

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित निर्णय दिनांक–31.01.2020 तहसीलदार, गंगापुर सिटी का होने से माननीय न्यायालय को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अपील अन्दर मियाद निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.01.2020 खारिज फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिये नोटिस की गई एवं मिसल अदालत मातहत तलबी की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में मृतकों के नाम भी नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है। एक मृतक लक्ष्मीनारायण के पॉच वारिस होने के बावजूद एक ही वारिस के नाम नामान्तरकरण खोलने के आदेश पारित किये गये है। स्व0 परसादी की मृत्यु के 70 साल बाद एक प्रार्थना पत्र पर नामान्तरकरण पुनः खोलने के आदेश दिये गये है। इसके आधार पर रेस्पोडेण्ट भूमि का विक्रय कर देगी जिससे मल्टीपलसिटी ऑफ सूट बढ़ेगी। भूमि के संबंध में रेगूलर सूट पेंडिंग है जबकि अपील फिस्कल प्रोसिडिंग है। शांतिदेवी अपने पिता के जीवनकाल में प्रार्थना पत्र देती तो उसे भूमि में खातेदारी अधिकार मिलते। अब काफी समय पश्चात् अपील करना न्यायसंगत नहीं है। इसलिए अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक–31.01.2020 खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेण्ट नंबर 2 ने अपनी बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय में जो पक्षकार थे, उनको अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार नोनजोइंडर ऑफ पार्टीज होने से अपील खारिज योग्य है। न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी में विचाराधीन दावा में रेस्पोडेण्ट नंबर 2 पक्षकार नहीं है। सजरे में तो उसका अंकन किया गया है किन्तु पक्षकार नहीं बनाया गया है। उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी द्वारा अपील में पारित निर्णय में भी यही तथ्य होने के बाद भी अपीलार्थी द्वारा इस आदेश के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की है। मृत व्यक्ति जो निर्णय में अंकित है पहले उसके नाम नामान्तरकरण खुलेगा एवं उसके पश्चात् उसके वारिसान का नाम रिकार्ड में दर्ज होगा। अपीलार्थी का लिमिटेशन के संबंध पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है, जिसकी उनके द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गई है। इल्लीगल ऑर्डर की अपील करने की कोई मियाद नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिअनुरूप होने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

वकील अपीलार्थी ने रिबटल के दौरान कहा कि उनको न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी में पक्ष रखने का अवसर प्राप्त हो गया इसलिए न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी द्वारा पारित आदेश की अपील पेश नहीं की गई। भूमि पैतृक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपीलार्थी पीड़ित होने के कारण उसके द्वारा अपील पेश की गई है। इसलिए अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक –31.01.2020 खारिज फरमाया जावे। अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2016(1)सिविल कोर्ट केसेज 049 (एस.सी.) पेज नंबर 49 से 61, माननीय सर्वाच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण सिविल अपील नंबर 7217/2013 उनवानी प्रकाश व अन्य बनाम फूलवती व अन्य में पारित निर्णय की प्रति, माननीय न्यायालय अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं0 1, गंगापुर सिटी द्वारा नियमित दीवानी प्रकरण संख्या 88/2017 (104/07) उनवानी मु0 गुडडी वगै0 बनाम रामेश्वर वगे0 में दिनांक–15.12.2018 को पारित निर्णय की प्रति पेश की है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान द्वारा यह अवगत कराया गया कि यह निर्विवादित है कि स्व0 परसादीलाल के वारिसान 1. बजरंगलाल 2. रमेशचंद 3. ओमप्रकाश 4. राधेश्याम 5. लक्ष्मीनारायण 6. शांतिदेवी 7. मु0 सांझा देवी है, जिनमें से राधेश्याम, लक्ष्मीनारायण एवं मु0 सांझा देवी फौत हो चुके है। भूमि के पैतृक होने के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारी राय में प्रथम बिन्दु यह तय करना है कि पूर्व में फौत हो चुकी स्व0 परसादीलाल की बेवा मु0 सांझा देवी एवं राधेश्याम, लक्ष्मीनारायण के नाम नामान्तरकरण खोला जा सकता है या नहीं ? वकील अपीलार्थी का कथन है कि उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत मृतक के नाम नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता है। मृतक के वारिसान के नाम ही नामान्तरकरण खोला जा सकता है। हमने उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया। जिसमें यह स्पष्ट है कि जायज वारिसान की अगर पहले से ही मृत्यु हो चुकी है तो उस मृतक के हिस्से की भूमि पर उसके जायज वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोला जाना चाहिए। अतः मृतक मु0 सांझा देवी, राधेश्याम व लक्ष्मीनारायण के नाम जो नामान्तरकरण खोलने के आदेश तहसीलदार, गंगापुर सिटी द्वारा पारित किये गये है, वे विधिसम्मत नहीं है एवं आदेश पारित करने में जल्दबाजी किया जाना प्रतीत होता है। हमारी राय में मृतकों के जायज वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

परसादीलाल की पुत्री शांतिदेवी का उसकी सम्पत्ति में सहदायिकी के रूप में पुत्र के समान हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है या नहीं ? इस संबंध में अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 के प्रभावी होने से पूर्व ही पिता परसादीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। शांतिदेवी ने पिता के जीवनकाल में कभी भी पैतृक भूमि में हिस्से की मांग नहीं की और पिता परसादीलाल का स्वर्गवास 30 साल पूर्व हो चुका है। उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के बाद शान्तिदेवी के विवादित भूमि में कोई अधिकार नहीं रह गये है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यह निर्धारित किया गया है कि इस अधिनियम का प्रभाव retrospective नहीं होने के कारण अपीलाधीन आदेश खारिज योग्य है। इसकी विवेचना के दौरान हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण उनवानी Danamma vs Amar में पारित निर्णय दिनांक 01.02.2018 (AIR 2018 SC 721)का अवलोकन किया। जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि "COPARCENARY PROPERTY-Devolution of interest- Right of coparceners-Explained- Law relating to joint Hindu family governed by Mitakshara law has undergone unprecedented changes. Said changes have been brought forward to address growing need to merit equal treatment to nearest female relatives, namely daughters of coparcener. Section stipulates that daughter would be coparcener from her birth and would have same rights and liabilities as that of son. Daughter would hold property to which she is entitled as coparcenary property, wthich would be construed as property being capable of being disposed of by her either by will or any other testamentary disposition. These changes have been sought to be made on touchstone of equality, thus seeking to remove perceived disability and prejudice to which daughter of coparcener shall by birth become coparcener in and from commencement of amended Act, 2005, daughter of coparcener shall by birth become coparcener in her own right in same manner as son. It is apparent that status conferred upon sons under old section and old Hindu Law was to treat them as

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

coparcener since birth. Amended provision now statutority recongnizes rights of coparcener of daughters as well since birth. Section uses words in same manner as son. It should therefore be apparent that both sons and daughters of coparcener have been conferred right of becoming coparcener by birth. It is very factum of birth in coparcenary that creates coparcenary, therefore sons and daughters of coparcener become coparceners by virtue of birth. Devolution of coparcenary property is later stage of and consequence of death of coparcener. First stage of coparcenary is obviously its creation as explained above, and as is well recongnized. One of incidents of coparecenary is right of coparcener to seek severance of status. Hence, rights of coparceners emanate and flow from birth now including daughters.-Danamma alias Suman Surpur and another Vs. Amar and others., AIR 2018 SC 721."

उक्त निर्णय में लिखा गया है कि "Amended provision now statutory recognized rights of coparcner as well as since birth. section uses words as same manner as son."

इस प्रकार पैतृक सम्पत्ति में पुत्रियों का अधिकार उनके जन्म से ही उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रश्नगत प्रकरण में शांतिदेवी का अपने पिता परसादीलाल की पैतृक भूमि में उसके जन्म से ही अधिकार उत्पन्न (Coparcnery Rights created)हो गया था जो उसके पिता स्व0 परसादी की मृत्यु पर श्रीमती शांतिदेवी के हक में हस्तान्तरित (coparcnery rights devolved)हो गया।

इस न्यायिक फैसले में अभिनिर्धारित किया गया है कि rights of coparcner emanate and flow from birth now including daughters.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त नवीनतम निर्णय के आधार पर हमारी यह सुविचारित राय है कि जिस दिन शांतिदेवी का जन्म मृतक परसादी के घर में हुआ, उसी दिन पैतृक सम्पत्ति में उसके अधिकार उत्पन्न हो गये थे। अतः शांतिदेवी को अपने भाईयों के बराबर जो हिस्सा देने के आदेश दिये गये है, उसमें कोई गलती नहीं पाते है।

अतिरिक्त जिला
गंगापुर सिटी (

अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस में यह भी कहा है कि विवादित भूमि के संबंध में घोषणा एवं बंटवारे का दावा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होने से नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित की जानी चाहिए। हमारा इस संबंध में यह मत है कि नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड को अद्यतन (update) करने की एक सतत प्रक्रिया है तथा यदि किसी न्यायालय के स्थगन नहीं होने की स्थिति में नामान्तरकरण की सतत् प्रक्रिया को रोका नहीं जाना चाहिए। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में पारिवारिक बंटवारे एवं रजिस्टर्ड डीड द्वारा भूमि बेचे जाने का कथन किया है। हस्तगत प्रकरण में हमारी विवेचना तहसीलदार, गंगापुर सिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक–31.01.2020 तक ही सीमित होने के कारण बंटवारानामा एवं रजिस्टर्ड डीड के संबंध में विवेचना किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। इस संबंध में सक्षम न्यायालय में विचाराधीन वाद में विस्तृत साक्ष्य एवं विस्तृत विवेचना के उपरांत ही अंतिमरूप से निर्णय पारित होगा।

हम अपील अपीलान्ट इस हद तक स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है कि तहसीलदार, गंगापुर सिटी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में मृतकों के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है, वह गलत है एवं मृतकों के जायज वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित होने चाहिए थे।

आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, गंगापुर सिटी को आदेशित किया जाता है कि वे श्रीमती शांतिदेवी पुत्री स्व0 परसादीलाल को शामिल करते हुए समस्त वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दर्ज करें। साथ ही जो वारिसान फौत हो चुके है, उनके वारिसान की जॉच कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। स्व0 परसादीलाल एवं स्व0 सांझादेवी पत्नी स्व0 परसादीलाल के वारिसान के नाम नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करने की निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 परसादीलाल हिस्सा 1/6 जाति ब्राह्मण, सा0देह खातेदार
2. बजरंगलाल पुत्र स्व0 परसादीलाल हिस्सा 1/6 जाति ब्राह्मण, सा0देह खातेदार
3. रमेशचन्द पुत्र स्व0 परसादीलाल हिस्सा 1/6 जाति ब्राह्मण, सा0देह खातेदार
4. स्व0 राधेश्याम पुत्र स्व0 परसादीलाल जाति ब्राह्मण, सा0देह खातेदार–मृतक के जायज वारिसान के नाम हिस्सा 1/6

– 7 –

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

5. स्व0 लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 परसादीलाल जाति ब्राह्मण, सा0देह खातेदार –मृतक के जायज वारिसान के नाम हिस्सा 1/6

6. शांति देवी पुत्री परसादीलाल हिस्सा 1/6 जाति ब्राह्मण, सा0देह खातेदार

निर्णय की प्रमाणित प्रति एवं मूल मिसल अदालत मातहत संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक– 05.03.20 को सरे इजलास सुनाया गया।

(नवरत्न कोली)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Navratan Koli
Date: 2020.03.16 15:57:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: